बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में परिवार एवं शिक्षा की भूमिका का अध्ययन

A Study of Role of Education and Family in Development of Child Security and Rites.

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्य विश्वविद्यालय

गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर

को

पी-एच.डी.(शिक्षा) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रारूप

शोधकर्ता:

कैलाश यादव

शोध निर्देशिका :

डॉ. कंचन शर्मा

विभागाध्यक्ष (शिक्षा)

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीटीई)

गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर

जिला-चूरू (राजस्थान) - 331401

2016

शोध – प्रारूप

1. शोधकर्ता का नाम : कैलाश यादव

2. संस्थान का पता : उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मान्य विश्वविद्यालय, गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर

3. शोध विषय : बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में परिवार एवं शिक्षा की भूमिका का अध्ययन।

A Study of Role of Education and Family in Development of Child Security and Rites.

1. –प्रस्तावना :–

प्रत्येक राष्ट्र बच्चों को अपनी अमूल्य सम्पत्ति मानता है क्योंकि भविष्य में यही बच्चे अनुशासित, चरित्रवान, कर्त्तव्यनिष्ठ व जागरूक नागरिक बनकर देश के नव–निर्माण व विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बच्चों की स्थिति काफी हद तक एक पौधे के समान होती है। क्योंकि जिस प्रकार एक पौधे का उचित पोषण, संरक्षण व अनुकूलन वातावरण प्रदान किए जाने पर वह कुछ अवधि पश्चात् एक बड़े फलदार वृक्ष के रूप में परिणत कहा जाता है। बालकों की समस्या केवल भारत अथवा अन्य विकासशील देशों में ही नहीं है। वरन् संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित देशों में भी इस मानवीय समस्या से ग्रसित है।[1]

एक प्रसिद्ध गीत की पंक्ति है– ''तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों सँभाल के'' देश का भविष्य हमारे ये नौनिहाल बदहाल जिन्दगी जी

[1] जैन कुलश्रेष्ठ, ''अति गरीबी की समस्याऐं'', जैन बुक डिपो, जयपुर, अक 5 वर्ष 1998, पेज नं. 117

रहे है। इनमें से अधिकांश बच्चों ने या तो स्कूल देखा ही नहीं अथवा पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।

बच्चें किसी देश के भावी संसाधन और उसके भविष्य होते हैं। यूनिसेफ अपनी रिपोर्ट में बच्चों को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में स्वीकार कर इस बात पर बल देता रहा है। कि मानवीय संसाधनों के निवेश या मानव संसाधन निर्माण की प्रत्येक दीर्घकालीन योजना बच्चों से प्रारम्भ की जानी है।

1990 के बाल शिखर सम्मेलन और इसके बाद बच्चों की उत्तरजीविका संरक्षण और विकास के बारे में विश्व घोषणा एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन था। जिसका सम्बन्ध बाल–श्रम से था। इसमें एक योजना बनाई गयी की बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगायी जाये तथा सभी को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी विश्व सम्मेलन बाल–श्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1996 में हुई गुट निरपेक्ष बाल–श्रम को एक नैतिक बुराई और मानवता का अपमान करार देते हुए बाल–श्रम के उन्मूलन के लिए एक योजना बनायी।

बच्चों की पर्याप्त सुरक्षा एवं आवश्यक देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संसद द्वारा बाल न्याय आदि नियम 2000 भी संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। विपत्ति में फंसे बच्चों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वर्ष 2001 में निःशुल्क चाइल्ड लाइन फोन सेवा भी प्रारम्भ की गई।

परिवार मानव–समाज की मूलभूत इकाई है। वह व्यक्ति के सामान्यीकरण की पहली सीढ़ी है। बालक के जीवन को दो वातावरण 1. पारिवारिक वातावरण 2. विद्यालय वातावरण प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं। पारिवारिक वातावरण के अनुसार बालकों में पारिवारिक गुणों का समावेश होता है। सम्बन्धों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है। परिवार के अभाव में मानव समाज के संचालन की कल्पना करना भी कठिन प्रतीत होता है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या है।

इस प्रकार शोधकर्ता ने बालकों की सुरक्षा, संस्कारों एवं परिवार को वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता मानते हुए यह शोधकार्य करने का निर्णय लिया है।

2. अध्ययन का महत्व :–

देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों के समुचित संरक्षण पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भविष्य में उन्ही के कँधों पर देश की

आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों के उचित सामाजिक विकास पर बल देना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बच्चों के समाजीकरण पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है।

बच्चे किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पति माने जाते हैं। उनका पालन–पोषण और उनकी देखभाल हमारा उतरदायित्व है। मानव सम्पदा के विकास की हमारी योजनाओं में बच्चों के कार्यक्रमों का प्रमुख स्थान होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे बड़े होकर हष्ट–पुष्ट नागरिक बन सकें। वे शारीरिक रूप से स्वस्थ, मेधावी और सद्चरित्र वाले हों और उनमें ऐसी प्रवृतियाँ एवं कौशल विकसित हों जिनकी समाज को आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि विकास की अवधि में सभी बालकों को विकास के समान अवसर प्रदान किये जायें, क्योंकि इससे बालकों के लिए असमानता कम करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के हमारे बड़े उद्देश्य की पूर्ति होगी।[2]

जिस प्रकार बालकों का पालण–पोषण या देखभाल की जायेगी, उसी के अनुरूप उनका विकास सम्भव है। यदि बालक को उचित वातावरण एवं समुचित जीवनोपयोगी सुविधाऐं प्रदान की जाये तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा तथा मानव जाति के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बालकों का विकास न केवल एक राष्ट्र बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए हितकर सिद्ध होता है, क्योंकि आज का बालक भविष्य का एक जिम्मेदार नागरिक होता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना अति आवश्यक है। भोजन, वस्त्र तथा आवास जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण ही नहीं बल्कि अति आवश्यक भी है।

वर्तमान समय में बालक विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो उनके बाल मन पर कठोर प्रहार करती हैं और उनका बचपन सर्वथा नष्टप्रायः हो जाता है। ये समस्याऐं अनेक रूपों में विद्यमान है यथा– बालश्रम, बाल यौन शोषण, विद्यालयों एवं घरों में बालको के प्रति होने वाली हिंसा, अपर्याप्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं आदि।[3]

अशिक्षित और आर्थिक परेशानी से गुजर रहे परिवारों में बच्चों के प्रति बरती जाने वाली लापरवाही फिर भी समझ में आती है किन्तु उन सम्पन्न लोगों द्वारा बच्चों के प्रति की जाने वाली अनदेखी को क्या कहा जाये जो शिक्षित होने के बावजूद समय पर अपने

[2] शिविरा पत्रिका, जनवरी 1999 पृष्ठ सं.9

[3] एस.के. मिश्रा, (योजना) मासिक पत्रिका • नवम्बर, 2008 पेज नं. 72

बच्चों को स्वास्थ्यवर्द्धक टीकों से वंचित रख रहे हैं। बच्चों के विकास में सहायक होने के साथ ही उन्हे बिमारियों से दूर रखने वाले टीकों के प्रति उदासीनता माता–पिता की क्षमा न की जाने वाली गलती है।

आगे चलकर भी उनका चरित्र–चिन्तन और व्यवहार प्रायः ऐसा ही बना रहता है। बचपन के तमाम अंकुश उन्हें पलायनवादी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। अनुशासन के फेर में अभिभावकों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि कोमल बच्चों में भावनाऐं ज्यादा होती हैं। स्वाभाविक रूप से वे भावना प्रधान होते हैं। बच्चों को हर समय डाँट–दबा कर रखना ठीक नहीं है। हर बात में उनके लिए नकारात्मक वृत्ति बनाये रखेंगे और मारने–डपटने के हालात पैदा करेंगे तो उनका कोमल दिल, कठोर बनकर टूट जायेगा। फिर जीवन भर के लिए उनकी मनोग्रन्थियाँ धुमिल हो जायेंगी। उन्हे चिड़ियों की तरह चहकने और भँवरों की तरह गुँजन करने दीजिए।[4]

3. अध्ययन का औचित्य :–

वर्तमान समय में न केवल भारत बल्कि सम्पूर्ण विश्व में बालकों से जुड़ी विभिन्न समस्यायें हमारे समक्ष विद्यमान है। बालकों के विकास के लिए आवश्यक है उनसे सन्दर्भित समस्याओं को प्रत्येक व्यक्ति समझकर समाधान करने के प्रयास करे। बच्चें भविष्य के निर्माता होते हैं और यदि निर्माता ही समस्याग्रस्त हो तो हम समाज के उज्ज्वल भविष्य की कल्पना करें, यह असम्भव सा प्रतीत होता है। दुनियाभर में आज बालकों की समस्या को जानने, समझने एवं उनके निराकरण के प्रयास किये जा रहे है। बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिये आवश्यक है समाज एवं राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का रवैया इसके प्रति सकारात्मक हो तथा इनके पक्ष में प्रयास करने की प्रवृति जागृत हो इसके लिए आवश्यक है विद्यार्थी वर्ग स्वयं इसके प्रति सचेत हो।

बालकों को लेकर एवं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से अनेक शोध सम्पादित हुए, लेकिन **'बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में परिवार एवं शिक्षा की भूमिका का अध्ययन'** विषय पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। यह कार्य एक नवाचार शैक्षिक लक्ष्य पर विद्यालय उपयोगी, समाज उपयोगी एवं बालकों के लिए फलदायी होगा। किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है।

[4] बाल मनोविज्ञानः (अणुव्रत) 1-5 मई 2008 • पृष्ठ संख्या 7-

साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपर्युक्ता मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है, क्योंकि बालकों की सुरक्षा आज के समय की महत्वपूर्ण आवश्यता है।

4. अध्ययन के उद्देश्य :–

1. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में परिवार की भूमिका का अध्ययन करना।
2. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में शिक्षा की भूमिका का अध्ययन करना।
3. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में एकल व संयुक्त परिवार की भूमिका की तुलना करना।
4. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा की तुलना करना।
5. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।
6. बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में शिक्षा के विकल्पों का अध्ययन करना।

5. सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन :–

1. **पारीक सुरेन्द्र (2009–10) लघुशोध प्रबन्ध बाल अधिकार के प्रति माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति एवं जागरुकता का अध्ययन, गांधी विद्या मन्दिर (IASE) (Deemed University) सरदार शहर।** इन्होनें अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि बाल अधिकार के प्रति शहरी विद्यार्थियों की अभिवृत्ति ग्रामीण विद्यार्थियों से अधिक है तथा जागरूकता का स्तर ग्रामीण एवं शहरी में समान रूप से है।

2. **शिविरा पत्रिका, (अक्टूबर 2009) आलेख, पृ.स. 20, ''अनिवार्य शिक्षा कानून और अग्रणी प्राथमिक शिक्षा योजनाएँ''** इसमें बताया गया है कि छियासिवें संविधान अधिनियम 2002 नें संविधान के भाग–3 में एक नया अनुच्छेद

21–क समाविष्ट किया जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बुनियादी अधिकार बना दिया गया है तथा कुछ दूसरी महत्वपूर्ण प्राथमिक योजनाओं में हुई प्रगति की जानकारी दी गई है।

3. **वर्मा, मालीराम की रिपोर्ट, (जनवरी–फरवरी 2010) ''शिक्षा में जनभागीदारी से गुणवत्ता वृद्धि'' राजस्थान सुजस, पृ.सं. 39** इसमें बताया गया है कि शिक्षा के अधिकार के लिये जनपहल के तहत् अलवर में थाना गाजी पंचायत समिति के गढ़बसई स्थित बोध गाँव में वृहद् शिक्षा संवाद हुआ। थानागाजी एवं उमैरण क्षेत्र के शिक्षकों, 60 पंचायतों के 100 ग्राम समुदायों एवं पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 7000 लोगों नें इस वृहद् सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार व बोध शिक्षा समिति के मध्य अलवर जिले में शिक्षा के अधिकार के लिये मिलकर कार्य करने के समझौते पर राजकीय प्रारम्भिक शिक्ष परिषद् व बोध शिक्षा समिति के मध्य हस्ताक्षर किये गये।

4. **सिंह तेजराम (सहायक अध्यापक),** (जनवरी 2011 विद्या मेघ), लेख–''आज की शिक्षा का महत्व एवं सरकारी प्रयास'' (पेज नं0 21) इन्होने बताया है कि वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप अत्याधिक शैक्षिक होने के कारण इसका मुख्य कार्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में जाने वाले छात्रों की संख्या 25 प्रतिशत भी नहीं होती है।

6. <u>अध्ययन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या</u> :–

बाल सुरक्षा –

देश एवं समाज का भविष्य बहुत कुछ देश के बच्चों की समुचित सुरक्षा पर निर्भर करता है। बच्चे न केवल राष्ट्र की धरोहर हैं बल्कि भविष्य में उन्ही के कँधों पर देश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था का उत्तरदायित्व रहेगा। बच्चों के उचित सामाजिक विकास पर बल देना प्रत्येक परिवार का कर्तव्य है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार

वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं, जिनका बच्चों के समाजीकरण पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है।

शिक्षा –

शिक्षा बालक की सर्वांगीण उन्नति का साधन है, उसके व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का सोपान है। शिक्षा बालक में अन्तर्निहित शक्तियों को उभारकर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। यह वह ज्ञान है जो बालक रूपी हीरे की कल्मश रूपी बुराइयों को दूर कर उसके आन्तरिक गुणों को जगमगा देती है, जिसके प्रयास से बालक स्वयं अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज को भी लाभ पहुँचाता है।

संस्कार निर्माण :–

दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुए लेख के अनुसार परिवार, विद्यालय एवं समाज में पाये जाने वाले संस्कारों के आधार पर ही बालक चलना, बोलना, मैं और तुम में अन्तर करना और चारों ओर की वस्तुओं के सरलतम गुणों को सीखता है।

परिवार :–

मानव समाज में जन्म या विवाह के आधार पर कई परिवारों के सदस्य सम्बन्ध और व्यवहार की दृष्टि से एक दूसरे के बहुत समीप आ जाते हैं इस प्रक्रिया के कारण कुछ विशेष प्रकार के पारिवारिक सामाजिक सम्बन्धों की सृष्टि होती है। इसे विशिष्ट सुव्यवस्थित सम्बन्ध प्रथा या नातेदारी कहते हैं सम्बन्धियों की श्रृंखला का यह सूत्र अत्यन्त विस्तृत होता है, सम्बन्धी मूलतः दो प्रकार के हो सकते है– रक्त सम्बन्धी और विवाह सम्बन्धी। परिवार के सन्दर्भ में हम यह देख आये हैं कि एक ही व्यक्ति एक साथ दो मूल परिवारों का सदस्य हो सकता है जन्म के परिवार में सभी सदस्य अनेक रक्त सम्बन्धी होते हैं किन्तु जनन के परिवार के निर्माण के लिए सम्बन्धी से भिन्न किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अतः उस परिवार में उसी व्यक्ति को लक्ष्य मानकर देखने पर दोनों प्रकार के सम्बन्धियों की उपस्थिति मिलती है।

7. अध्ययन का परिसीमन :–

प्रस्तुत शोध में बीकानेर संभाग से 200 बालकों को अवलोकन एवं साक्षात्कार विधि द्वारा मापन किया जायेगा।

४. <u>शोधविधि एवं उपकरण</u> :–

प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संग्रह हेतु विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किया जायेगा। इस अध्ययन में विषय–वस्तु से संबंधित तथ्यों एवं सूचनाओं का चयन संदर्भ पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, संस्मरणों आदि में लिखित विवरणों का विश्लेषण करने के पश्चात् किया जायेगा। शोध प्रक्रिया की दृष्टि से विवरणात्मक एवं विवेचनात्मक विषयों पर किये जाने वाले अध्ययन में यह विधि सर्वथा उपयुक्त, तर्कसंगत एवं उत्तम मानी जाती है। शोध प्रकृत्ति के अनुसार अध्यायों के शीर्षक अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर निर्मित किए गए हैं और उनसे सम्बन्धित सम्प्रत्यय एवं तथ्यों का संग्रह किया गया है।

प्रस्तुत शोध में अवलोकन अनुसूची, साक्षात्कार मापनी एवं स्वनिर्मित संस्कार एवं सुरक्षा मापनी का प्रयोग किया जायेगा।

9- प्रस्तावित शोध प्रबन्ध का अध्याय क्रम :–

प्रथम अध्याय :– अध्ययन की पृष्ठभूमि।

द्वितीय अध्याय :– संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन।

तृतीय अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में परिवार की भूमिका।

चतुर्थ अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में शिक्षा की भूमिका।

पंचम अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में एकल व संयुक्त परिवार की भूमिका की तुलना।

षष्ठ अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में प्राचीन एवं वर्तमान शिक्षा की तुलना।

सप्तम् अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में संयुक्त परिवार की प्रासंगिकता।

अष्ठम् अध्याय :– बाल सुरक्षा एवं संस्कार निर्माण में शिक्षा के विकल्प।

नवम् अध्याय :– सम्प्राप्ति, निष्कर्ष, शैक्षिक उपयोगिता एवं सुझाव।

10. शोधकार्य में लगने वाला समय :–

प्रस्तुत शोधकार्य पूर्ण करने में अनुमानित दो वर्ष का समय लगेगा, जिसका विवरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा रहा है :–

क्र.सं.	शोधकर्ता द्वारा किये जाने वाले शोधकार्य	अनुमानित समय
1	प्रथम अध्याय	4 माह
2	द्वितीय अध्याय	4 माह
3	तृतीय अध्याय	3 माह
4	चतुर्थ अध्याय	3 माह
5	पंचम अध्याय	3 माह
6	षष्ठ अध्याय	2 माह
7	सप्तम् अध्याय	2 माह
8	अष्ठम् अध्याय	1 माह
9	नवम् अध्याय	1 माह
10	टंकण एवं बाईडिंग	1 माह
	कुल अवधि	**24 माह**

BIBLIOGRAPHY

1. अग्रवाल, उमेशचन्द (जनवरी 2009), 'उपेक्षित बचपन' समसामयिकी महासागर, पृष्ठ संख्या 23
2. चौबे, डॉ. सरयूप्रसाद (1997) 'मनोविज्ञान और शिक्षा' लक्ष्मीनारायण अग्रवाल आगरा, पृष्ठ संख्या- 414
3. गुड, बार एवं स्केट्स (1988) 'मैथेडोलोजी ऑफ एज्यूकेशन रिसर्च' एप्पलटोन सेन्चुरी कम्पनी, न्यूयार्क, पृष्ठ संख्या 105
4. जमुआर, डॉ. ओष्णकुमार (1972) 'शिक्षा मनोविज्ञान' बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, पृष्ठ संख्या 166
5. जैन, कुलश्रेष्ठ (1998), 'अति गरीबी की समस्याऐं', जैन बुक डिपो, जयपुर, अंक 5, पृष्ठ संख्या 117
6. कपिल, एच.के. (1992) 'अनुसंधान विधियां' हरिप्रसाद भार्गव, कचहरी घाट, आगरा, पृष्ठ संख्या 41
7. मिश्रा, एस.के. (2008) मासिक पत्रिका, पेज नं. 72
8. सिंह, दिनेश प्रताप (नवम्बर 2009), शिविरा पत्रिका, पृष्ठ संख्या 7-8
9. उपाध्याय, संतोष कुमार (1987) 'शारीरिक शिक्षा का संगठन एवं प्रशासन' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृष्ठ संख्या 72

10. Nirmla (1977), “Existing social Barriers and community, Attitudes & law concerning the disabled, seminal report on legislation concerning the disabled.” Indian council of social work, Bombay, Page. No. 15
11. Menon, B. (1979), “The disabled are part of society social welfare”, vol xxvi, No. 4, page no. 53
12. Tennyson, R.D. and Park, D.L. (1980), “*The Teaching of Concepts – A Review of Instructional Design Research Literature”*, Review of Educational Research 1980 50 (1), pp. 55-70.
13. Singh, L.C. (1990), “*Teaching Methodology – Changing Orientation”*, Research Paper published in Educational Research, NCERT, New Delhi, pp. 83.

शोध निर्देशिका के हस्ताक्षर शोधकर्ता के हस्ताक्षर